


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 1987/चैत्र 16, 1909
No. 165] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 1987/CHAITRA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली 4 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. अ. 325(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3);
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम
1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन)
(एक सौ नब्बेवां संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये पुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में,—

(I) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,—

(1) “क—आर्थिक कार्य विभाग” उप शीर्षक के अधीन,—

(क) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“1. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) का प्रशासन”;

(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“7क. प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन भंग से उद्भूत मामलों का अन्वेषण, जाप-निर्माण और अभियोजन, प्रवर्तन निदेशालय” ।

(II) “ग राजस्व विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“16. राजस्व आसूचना महानिदेशालय” ।

(2) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “घ—संस्कृति विभाग” उप शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 47 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“48 राष्ट्रीय संस्कृति परिषद्”

जैल सिंह

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/2/87-मंलि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 4th April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 325(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninetieth Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(1) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”,—

(i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”—

(a) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

“1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).”;

(b) after entry 7, the following entry shall be added, namely :—

“7A. Enforcement, viz., investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973); Directorate of Enforcement.”;

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJESWA VIBHAG)", for entry 16, the following entry shall be substituted, namely :—

"16. Directorate General of Revenue Intelligence.";

(2) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)", after entry 47, the following entry shall be inserted, namely :—

"48. National Council of Culture."

ZAIL SINGH
President.

[No. 74|2|2|87-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA. Jt. Secy.